UPRN010037742026

न्यायालय **Ist Additional District and Sessions Judge Kanpur Dehat, Kanpur Dehat**

पीठासीन अधिकारी– (Sri. Rajat Sinha), **(उ0प्र0 न्यायिक सेवा) – UP06042**

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1489/2026

मोनू कश्यप उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र स्व0 रामपाल निवासी थाना रसूलाबाद जिला कानपुर देहात।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु0अ0सं0–185/2026
धारा– 87 व 351(3) बी0एन0एस0
थाना– रसूलाबाद जिला कानपुर देहात।

दिनांक – 23.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त मोनू कश्यप की तरफ से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–185/2026 धारा 87 व 351(3) बी0एन0एस0 थाना रसूलाबाद जिला कानपुर देहात में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में कुछ इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अखिलेश बाबू की पुत्री कु0 अंजली जिसकी जन्मतिथि 1.4.2008 उम्र करीब 18 वर्ष को दिनांक 6.5.2026 को समय करीब 12 बजे रात्रि को मोनू कश्यप बहला फुसलाकर ले गया जिसकी जानकारी वादी को सुबह हुई पुत्री अंजली अपने साथ घर में रखे 25,000/– रूपये नकद ले गी। वादी द्वारा काफी तलाश करने व उक्त व्यक्ति मोनू के मो0 9336942779, 8750804932 पर सम्पर्क करने पर फोन स्विच आफ जा रहा है। इसलिए पुत्री का कोई पता नहीं चल रहा है। उक्त व्यक्ति पुत्री के साथ कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.6.2026 से जेल में है उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित घटना दिनांक 6.5.2025 को होना दर्शाया गया है। जबकि बिना किसी कारण को दर्शाये प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 9.5.2026 को करीब 3 बजे दिन के अंतराल के बाद दर्ज कराई गयी है। सत्यता यह है कि वादी अपनी पुत्री अंजली व प्रार्थी/अभियुक्त के विवाह करने के विचार से पूर्व से ही जानकारी थी और इसी

कारण पूर्णरूप से बालिग होने के बावजूद वादी मुकदमा अपनी पुत्री का विवाह उसकी इच्छा के विरूद्व किसी अन्य व्यक्ति से करना चाहते थे। इसी कारण पीड़िता ने प्रार्थी/अभियुक्त से विवाह करने व अपने घर को स्वेच्छा से छोड़ने का निर्णय लिया। पीड़िता पूर्णरूप से बालिक महिला है जो कि अपना भला–बुरा अच्छी तरीके से समझ सकती है। जिसे किसी भी तरह से गुमराह नहीं किया गया है। तहरीर में स्वयं पीड़िता अंजली द्वारा घर से 25,000/– रूपये अपने साथ ले जाने वाली बात लिखी है जिसका स्वयं पीड़िता ने अपने 180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के बयान में झूठे होने वाली बात अंकित कराई थी। वादी मुकदमा द्वारा दबाव बनाने व हैरान व परेशान कर अन्यथा धन आहरण करने हेतु झूठा मुकदमा पंजीकत कराया गया है। पीड़िता के 180 व 183 के बी0 एन 0 एस 0 के बयानों में काफी विरोधाभाष है, क्योंकि वह वादी द्वारा जान से मार देने का भय कारित कर उसे बयानों को बदलने हेतु मजबूर किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त व पीड़िता एक दूसरे ने अपनी स्वेच्छा से प्रेम को विवाह का रूप देकर विवाह बंधन में बंधना स्वीकार कर जिला गाजियाबाद में पति पत्नी की हैसियत से रहने लगे। अतः उक्त आधारों पर जमानत की याचना की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हए तर्क प्रस्तुत किया गया कि बयान वादी, बयान 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 पीड़िता तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व अपराध की पूर्णतः पुष्टि होती है। प्रार्थी/अभियुक्त पीड़िता को धमकाकर अपने साथ ले गया तथा बिना मर्जी शादी किया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की पुष्टि होने के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सम्बन्धित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र तथा संलग्न अन्य समस्त प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

बचाव पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में आर्य समाज मंदिर से शादी का प्रमाण–पत्र मोनू और अंजली का प्रस्तुत किया गया है तथा विवाह किए जाने के छाया चित्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा विवाह के संबध में मैरिज रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है और स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रार के यहां नहीं हुआ है। छाया चित्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि शादी की रस्म कराई गयी हैं। यहां पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि विद्वान अभियोजक के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा गया है कि धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के बयानों में पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धमकी देकर उसकी इच्छा के विरूद्व लिवा ले गए।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व वादी मुकदमा की पुत्री कु0 अंजली को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप है। दौरान विवेचना पीड़िता द्वारा धारा 183

बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में अपने बयान में उसकी इच्छा के विरूद्व प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ले जाना कहा है।

अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का कोई आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त मोनू कश्यप की ओर से मु0 अ 0 सं0–185/2026 धारा 87 व 351(3) बी0 एन 0 एस 0 थाना रसूलाबाद जिला कानपुर देहात में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(रजत सिन्हा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–1
कानपुर देहात।
आई 0 डी0 यू0 पी0–6042